प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –61/2023

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. काशीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. दिलावर पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. राजेश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. रोहिताश कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 13.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 23/22 की कुल 33.7780 हैक्ट भूमि में से 6005/33778 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई। वादी के दादा के कुल तीन वारिस महेन्द्र सिह, दिलावर व राजेश हुए जिसमें से वादी के पिता महेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी की माता गुडडी पत्नी महेन्द्र का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादी स0 4 व 5 वारिस हुए।

प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का दादा है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र एवं पुत्र के वारिसान के हक में त्याग कर चुका है। प्रतिवादी स0 1 के नाम रोही मौजा तोलासर तहसील भानीपुरा के खाता स0 19/21 में अलग से कृषि भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादीया स0 5 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादी स0 1 व 5 का कोई हक हिस्सा वाद भूमि मे शेष नही है बाद हक त्याग प्रतिवादी स0 2 व 3 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा भूमि एवं वादी व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

स0 4 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा दुर्जाना खाता स0 23/22 प्रदर्श–1, वारिसाना प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र गुडडी पत्नी महेन्द्र प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र महेन्द्र सिंह पुत्र काशीराम प्रदर्श–4 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 23/22 की कुल 33.7780 हैक्ट भूमि में से 6005/33778 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत मेघाना द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 व 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ने अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 23/22 की कुल 33.7780 हैक्ट भूमि में से 6005/33778 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी एवं प्रतिवादी स0 4 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 1/31/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मेघाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –61 / 2023
अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. काशीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. दिलावर पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. राजेश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. रोहिताश कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 61 सन 2023 निर्णय दिनांक 13.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीयान डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 23 / 22 की कुल 33.7780 हैक्ट भूमि में से 6005 / 33778 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी एवं प्रतिवादी स0 4 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–~~बिरकाली~~ भगवान

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:39 IST
Reason: SelfAttested